न्यायालय अपर समाहर्ता, राँची

एस ए आर अपील 48 आर–15/07–08

अमुल्य रंजन सिंह — अपीलकर्ता

बनाम

धनेश्वर राम मुण्डा — प्रतिवादी

आदेश

7
30.01.2008

यह अपील एस ए आर वाद संख्या 123/04–05 में विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा दिनांक 7.9.2005 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का आदेश दिया है।

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
बुकरु	179	144	0.22 एकड़

अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि विवादित जमीन आदिवासी खाते की नहीं है। रिवीजनल सर्वे में खेवट नं. 8 में दुर्गुराम मुण्डा, अभिमान राम तिवारी, बालु सिंह एवं नत्थु सिंह के नाम ठीका दर्ज है। ठीका की अवधि संवत 1989 से 1991 तीन बर्ष दर्ज है एवं यह खेवट नं. 2/8 के अंतर्गत है। खेवट में यह भी दर्ज है कि ठीका निबंधित दस्तावेज द्वारा मोस्मात सुभाष कुँवर ने दिया था। रिवीजनल सर्वे खेवट से यह स्पष्ट है कि खाता नं. 179 सुभाष कुँवर पति जलधर राम तिवारी की है जिसने दुर्गुराम मुण्डा, अभिमान राम तिवारी, बालु सिंह एवं नत्थु सिंह को तीन साल के लिए निबंधित पट्टा संख्या 1711 दिनांक 30.5.1932 द्वारा ठीका में दिया था। उसी दिन उनलोगों ने भी सुभाष कुँवर के पक्ष में निबंधित कबुलियत पट्टा संख्या 1712 लिख दिया था। उस समय रिवीजनल सर्वे चल रहा था अतः खेवट नं. 8 ठीका खेवट के रुप में खेवट नं. 2/8 के अंतर्गत दर्ज हुआ। तीन साल की अवधि व्यतीत होने के पश्चात विवादित जमीन पुनः मूल रैयत सुभाष कुँवर के दखल में वापस आया। सुभाष कुँवर ने खेवट नं. 2/8

का अपना सभी अधिकार जनार्दन राम तिवारी को हस्तांतरित कर दिया था जो विवादित जमीन पर दखलकार हुए एवं जमींदारी उन्मुलन के समय उनके नाम से बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 5, 6,7 के अंतर्गत वाद संख्या 1769 आर 8/55–56 द्वारा लगान निर्धारण भी हुआ। जनार्दन राम तिवारी ने खेसरा संख्या 144 में 8 डिसमिल जमीन निबंधित वसीका संख्या 9294 द्वारा दिनांक 31.12.1980 को केवाला देवी को हस्तांतरित किया। केवाला देवी के नाम दाखिल खारिज भी स्वीकृत हुआ। वर्तमान सर्वे में बण्डा पर्चा भी उनके नाम से बना है। केवाला देवी ने निबंधित वसीका संख्या 5284 दिनांक 18.6. 1987 द्वारा विवादित जमीन रामसुभग मल्लाह वो गोरखनाथ मल्लाह को बिकी किया जिनके नाम वाद संख्या 294 आर 27/89–90 में नामांतरण स्वीकृत हुआ। रामसुभग मल्लाह एवं गोरखनाथ मल्लाह ने निबंधित बिकी पट्टा संख्या 9671 दिनांक 21.10.2000 द्वारा विवादित जमीन वर्तमान अपीलकर्त्ता को हस्तांतरित किया है। प्रतिवादी ने निम्न न्यायालय में सारे तथ्यों को छुपाकर जमीन वापसी का आदेश प्राप्त किया है। प्रतिवादी का यह दावा गलत है कि विवादित भूमि आदिवासी खाते की है। वास्तविकता यह है कि यह 1932 से अभी तक गैरआदिवासी के दखल में चला आ रहा है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील आवेदन के तथ्यों का ही पुनः उल्लेख किया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि पूर्व में एक अन्य अपील में निम्न न्यायालय के वाद को रिमांड किया गया है, अतः इस मामले में भी प्रतिप्रेषित कर दिया जाय।

दोनों अभिलेखों में उपलब्ध कागजात और उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस के आलोक में यह स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय के वाद संख्या 123/04–05 में धनेश्वर राम मुण्डा ने मोसाहेब सिंह पर भूमि वापसी का मुकदमा किया था। उस वाद में डा0 अमूल्य रंजन सिंह पक्षकार नहीं थे। वर्तमान वाद में बहुत सारे नये तथ्य और दस्तावेज

ऐसे लाए गए हैं जिन्हें निम्न न्यायालय में दिखाने का अवसर वर्तमान अपीलकर्ता को नहीं मिला था।

अतएव अपील स्वीकृत करते हुए इस वाद को पुनः सुनवाई हेतु निम्न न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

दिनांकः—30.01.2008

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता
रॉची।